

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरोक्त सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Ltd.

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U40101UP2004SGC028687

GSTIN: 09AAACU8823E1Z9

कारपोरेट टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल
द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
रेक्स संख्या - 8320



Corporate Tax & GST Cell
11th Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg, Lucknow-226001
E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

पत्रांक 17 / का०टैक्स एवं जी०एस०टी० / 2020

दिनांक 21 / 01 / 2020

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०

मुख्य अभियन्ता (डी० एण्ड पी०) / 765 केवी / सी०
एण्ड सी० / सी०एम०यू०डी० जानपद (i) / (ii)
पारेषण मध्य / पूर्व / पश्चिम / दक्षिण
उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०
लखनऊ / इलाहाबाद / मेरठ / आगरा।

विषय:- जमा कार्यों एवं AMC पर जी०एस०टी० एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट के सम्बन्ध में।

1. **ऐसे प्रकरण जहाँ जमा मद में राशि GST से पूर्व प्राप्त हुई है एवं कार्य GST लागू होने के उपरान्त सम्पादित हुआ है।**

संज्ञान में आया है कि जमा मद में विभागीय कार्यों को कराये जाने पर जी०एस०टी० की देयता के सम्बन्ध में संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्रायः खण्ड से जमा मद के सापेक्ष धनमांग पत्र प्राप्त होने पर यह अवगत कराया जाता है कि जमा धनराशि एवं प्राक्कलन जी०एस०टी० लागू होने की तिथि से पूर्व का है जिसके कारण जी०एस०टी० लागू नहीं होता है जब कि कार्य की पूर्णता जी०एस०टी० लागू होने के पश्चात हो रही होती है। इसके अतिरिक्त ऐसे प्रकरण जिनमें जमा कार्यों के विरुद्ध आंशिक धनराशि जी०एस०टी० लागू होने से पूर्व प्राप्त हुई है एवं अतिरिक्त आंशिक धनराशि जी०एस०टी० लागू होने के पश्चात प्राप्त हुई है, ऐसे में जी.एस.टी. भुगतान को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

जी.एस.टी. नियमों के अनुसार जी.एस.टी. की देयता कार्य सम्पादित करने पर उत्पन्न होती है। उपरोक्त प्रकरणों में चूँकि कार्य जी.एस.टी. लागू होने के पश्चात सम्पन्न हुआ है, अतः कथित कार्यों पर जी.एस.टी. लागू होगा एवं कार्य की कुल लागत पर जी.एस.टी. देय होगा।

उपरोक्त प्रकरणों में इकाइयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित अनुसार है।

1. जी०एस०टी० लागू होने के पश्चात निर्गत प्राक्कलनों में जी०एस०टी० चार्ज कर वसूला जाना सुनिश्चित करें। प्राक्कलनों में जी०एस०टी० चार्ज करने एवं धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त इकाई द्वारा Receipt Voucher निर्गत किया जायेगा।
2. कार्य समाप्ति पर इकाई द्वारा पूर्ण राशि की Tax Invoice निर्गत की जायेगी।
3. जी०एस०टी० लागू होने से पूर्व के प्राक्कलनों में जी०एस०टी० चार्ज नहीं किया गया होगा किन्तु Tax Invoice निर्गत करने पर जी०एस०टी० जमा करने का दायित्व पूर्ण राशि पर होगा, अतः जी०एस०टी० के अन्तर को Tax Invoice निर्गत करने से पूर्व वसूल लिया जाए।

उदाहरण के लिये-

क)	सम्पूर्ण कार्य की अनुमानित लागत	₹ 100/- करोड़
ख)	जी०एस०टी० से पूर्व की गयी वसूली	₹ 40/- करोड़
ग)	जी०एस०टी० के बाद की गयी वसूली	₹ 60/- करोड़
	+GST@18%	₹ 10.8/- करोड़
	कुल राशि	₹ 70.8/- करोड़
घ)	कुल वसूल की गयी राशि (₹ 40/- करोड़ + ₹ 60/- करोड़ + ₹ 10.8/- करोड़)	₹ 110.8/- करोड़
ङ)	कार्य समाप्ति पर निर्गत Tax Invoice की राशि	₹ 100/- करोड़
	+GST	₹ 18/- करोड़
	कुल राशि	₹ 118/- करोड़
च)	कम वसूली गयी राशि (₹ 118/- करोड़ - GST ₹ 110.8/- करोड़)	₹ 7.2/- करोड़ (जो कि ₹ 40/- करोड़ का 18% है।)

सारणी के बिन्दु सं० 'च' के सन्दर्भ में इस राशि को उपरोक्त बिन्दु सं० 3 के अनुसार Tax Invoice निर्गत करने से पूर्व वसूलना सुनिश्चित किया जाये। इकाइयाँ पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देश सं० 08/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सेल/2018 दिनांक 23.02.2018 एवं दिशा-निर्देश सं० 15/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सेल/2019 दिनांक 09.04.2019 एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि जमा कार्य सम्बंधित टैक्स इनवाइस कार्य समाप्ति के 30 दिन के भीतर इकाई द्वारा निर्गत कर दी जाये।

इसके अतिरिक्त इनवाइस निर्गत करते समय दिशा-निर्देश सं० 08/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सेल/2018 दिनांक 23.02.2018 में अंकित जमा कार्यों का HSN/SAC Code 999799 के स्थान पर 998631 उपयोग किया जाये।

2. Annual Maintenance Charges पर जी०एस०टी० के सम्बन्ध में।

संज्ञान में आया है कि कुछ इकाइयों द्वारा AMC के प्राक्कलन बनाते समय पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देश सं० 08/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सेल/2018 दिनांक 23.02.2018 एवं दिशा-निर्देश सं० 15/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सेल/2019 दिनांक 09.04.2019 का अनुपालन सही रूप से नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहेंगे कि कथित दिशा-निर्देश मुख्यतः ऐसे प्रकरणों के लिये है जहाँ किसी सम्पत्ति का निर्माण किया जाता है एवं जिसकी मालिकियत निगम की होती है जिसके परिणाम स्वरूप जी०एस०टी० में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) उपलब्ध नहीं होता है, अतः प्राक्कलन में दो बार जी०एस०टी० भारित किया जाता है। किन्तु AMC के प्रकरणों में किसी नयी सम्पत्ति का निर्माण नहीं किया जाता, अतः AMC सेवाएँ प्रदान करने के लिये उपयोग किये गये माल अथवा सेवाओं पर भुगतान किया गया जी०एस०टी० का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) निगम को उपलब्ध होगा तदनुसार प्राक्कलन बनाते समय सिर्फ एक बार अन्त में जी०एस०टी० भारित किया जायेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से संबंधित दिशा-निर्देश सं० 02/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सेल/2017-18 दिनांक 25.07.2017 के द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त AMC सेवाएँ जी०एस०टी० में Continuous Services की श्रेणी में आती हैं अतः इकाइयों द्वारा टैक्स इनवाइस उपभोक्ता के प्रत्येक भुगतान पर निर्गत किया जायेगा। AMC सेवाओं के प्रकरणों में Receipt Voucher निर्गत नहीं किया जायेगा। (AMC सेवाओं का HSN/SAC Code - 998631)

कृपया ध्यान दें कि किसी भी माल अथवा सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) बीजक के आधार पर उपलब्ध होता है, अतः जिस बीजक का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लिया गया हो उसको अलग से संभाल कर रखा जाये एवं उसकी सूचना जल्द से जल्द परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के माध्यम मुख्यालय स्थित जी०एस०टी० सेल को GSTR-2 Format में उपलब्ध करायी जाये। इसके अतिरिक्त ज्ञात हो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लेने की अंतिम तिथि बीजक तिथि के वित्तीय वर्ष के बाद वाले वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर होती है। उदाहरण के लिये अगर बीजक तिथि 01.04.2019 से 31.03.2020 है, तो बीजक वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित है अतः इस बीजक का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) 30/09/2020 तक ही लिया जा सकता है।

(एल०के० गुप्ता)

महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

दिशा-निर्देश: 17/उ०म०प्र०/का०टैक्स/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/वित्त/आपरेशन/कार्य एवं परि०/एस०एल०डी०सी/वाणिज्य एवं नियोजन उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन/गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा), उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण, लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा।
5. उप महाप्रबन्धक (निधि)/मुख्यालय वित्त एवं भुगतान इकाई (पारेषण मुख्यालय), उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक:-यथोपरोक्त

(एल०के० गुप्ता)

महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)